क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली आज दिनांक 01/2/2023 को पेश हुई वकील प्रार्थी- वादी/वादी- प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब/जवाब/प्रारम्भिक आपत्ति/आदेश प्रारम्भिक प्रकरण/आदेश हेतु दिनांक 14/2/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय
14/2/23		पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी वकील प्रार्थी द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब न देकर लिखित बहस हेतु निवेदन किया। वकील अपीलार्थी की बहस प्रारम्भिक आपत्ति पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते लिखित प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 22/2/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय
22/02/23		पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश हुई। प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया पत्रावली व मूलवाद अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा उक्त प्रा.पत्र दिनांक 08/12/22 को पेश किया गया जो दिनांक 9/12/22 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। जबकि मूलवाद में दिनांक 20/10/22 को प्रार्थी/वादी संग्राम सिंह की ओर से प्रा.पत्र कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश 22 नियम उपनियम 4, 9 सपठित धारा 151 CPC पेश किया है और वादी संग्राम सिंह, प्रतिवादी/आपत्ति सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

वादी छोटर सिंह बनाम स्वरूप केवट व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष प्रा.पत्र T.No. 136/2022 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	सं. 12, 22, 27 की मृत्यु का अंकन किया है। प्रार्थना पत्र पेशकर्ता छोटरसिंह पुत्र कानसिंह की मृत्यु दिनांक 22/3/15 को ही हो चुकी है। और उक्त प्रार्थना पत्र T.I. पेश करने से पूर्व ही स्व० छोटर के वारिसान को भूलवाद में रिकॉर्ड पर लिया जा चुका है ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र जानकारी के अभाव में मृत व्यक्ति द्वारा मृतक अपीलार्थी अपीलार्थी सं. 15 माधोसिंह, अपीलार्थी सं. 22 बागसिंह, अपीलार्थी सं. 27 मोहरी देवी के विरुद्ध पेश किया गया है जो नस्ती है एवं खारिज किए जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नस्ख होकर सलग्न मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 22/2/23 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner